


FORM NO. IIIफर्द अहकाम
नियम (26)अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
.....मोहम्मद अशफाक बनाम.....सरकार
किस्म मु०.....मिसल न०.....76/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|---|
| 14/10/25 | <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमें प्रार्थी मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद मुस्ताक ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद मुस्ताक नि० फतेहपुर नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2073 से 76 मुताबिक खसरा नबर 150,157,159 में काशतगार का नाम मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद मुस्ताक दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू अमि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद मुस्ताक के स्थान पर मोहम्मद असफाक पुत्र मोहम्मद मुस्ताक नाम दर्ज किया जावे । आज दिनांक<u>27/10/25</u> को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी इटावा</p> | |